

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

E-Mail- caodlb@gmail.com

Tel/Fax No.- 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ट)(333)लेखा/डीएलबी/जोधपुर/2017/17554

दिनांक 14-11-17

—:: स्वीकृति आदेश ::—

विषय : नगर निगम, जोधपुर को माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन डी.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 7038/2015 के तहत जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर होते हुये जोजरी नदी तक नाला निर्माण हेतु राशि रूपये 2210.33 लाख का आवंटन।

माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन डी.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 7038/2015 के तहत जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर होते हुये जोजरी नदी तक नाला निर्माण हेतु राशि रूपये 2210.33 लाख (अक्षरे बाईस करोड़ दस लाख तैतीस हजार मात्र) का हस्तान्तरण निम्न बजट मद से नगर निगम, जोधपुर के निजी निक्षेप खाते में किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विकलेय मद – मांग संख्या – 29

4217 – शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

03 – छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

800 – अन्य व्यय

(02) – शहरी सड़के एवं नालियाँ आदि (ROB)

[07] – विभिन्न शहरी निकायो के लिये

17 – वृहद् निर्माण कार्य (राज्य निधि)

उक्त राशि का उपयोग से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावे:—

01. निगम द्वारा राशि का उपयोग RTPP Act 2012/Rule 2013, संबंधित वित्तीय नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं की पालना सुनिश्चित की जावे।
02. निगम द्वारा इन निर्माण कार्यों की फिजीबिलिटी की जांच अपने स्तर पर किया जाकर, इससे संबंधित प्रशासनिक, वित्तीय, तकनीकी एवं अन्य स्वीकृतियां निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व जारी किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
03. निगम द्वारा इन निर्माण कार्यों हेतु कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।
04. निगम द्वारा राशि का उपयोग केवल उक्त प्रयोजन हेतु ही किया जावेगा। किसी भी स्थिति में राशि का उपयोग अन्य कार्यों पर नहीं किया जावे।
05. निगम द्वारा आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यवार प्रस्तुत किया जावेगा।

इस स्वीकृति के लिए वित्त (व्यय-3) विभाग की सहमति आई.डी.क्रमांक 171701192 दिनांक 06.11.2017 द्वारा विभागीय पत्रावली पर प्राप्त कर ली गई है।




(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.6(ट)(333)लेखा/डीएलबी/जोधपुर/2017/17555-67 दिनांक 14-11-17
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, मा0मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राज0 जयपुर।

04. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर ।
05. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को 5 अतिरिक्त प्रतियों भिजवाकर निवेदन है कि नगर निगम, जोधपुर के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित करने की कार्यवाही करें ।
06. महालेखाकार, (लेखा एवं हक)/(लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) राज0 जयपुर ।
07. वरिष्ठ उप महालेखाकार, स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा एवम् लेखा राजस्थान जयपुर ।
08. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राज0 जयपुर ।
09. जिला कलेक्टर, जोधपुर ।
10. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
11. कार्यकारी निदेशक, रूड़सिको, जयपुर को उक्त बजट मद में उक्त आवंटित राशि हेतु संशोधित बजट प्रावधान वर्ष 2017-18 में शामिल किये जाने हेतु ।
12. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
13. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को स्वीकृति में वर्णित शर्तों की पालना सुनिश्चित करने हेतु ।
14. लेखाधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, लेखा एवं हक (डी.डी.प्रथम अनुभाग) जयपुर ।
15. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर ।
16. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर ।
17. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर ।
18. आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर को स्वीकृति में वर्णित शर्तों की पालना सुनिश्चित करने हेतु ।
19. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जोधपुर शहर को नगर निगम, जोधपुर के निजी निक्षेप खाते में राशि हस्तान्तरण हेतु ।
20. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर ।
21. बजट शाखा/अंक मिलान शाखा निदेशालय ।
22. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
23. सुरक्षित पत्रावली ।


 (हुलास राय मवार)
 मुख्य लेखाधिकारी